

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा सितंबर २०२१ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- (i) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन, नियम, 2021 को दिनांक 15-09-2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 11017/01/2019-एआईएस-3 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
- (ii) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में विभिन्न पदों का संवर्गीकरण दिनांक 06.09-2021 के आदेश के माध्यम से जारी किया गया था। इसके अलावा, एनएमसी में 44 सीएसएस अधिकारियों को दिनांक 15.09.2021 और 22.09.2021 के आदेशों के माध्यम से तैनात किया गया था।
- (iii) सीजीएलई, 2018 के उम्मीदवारों (एसओ) (दिनांक 20.09.2021) के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफटीपी) का उद्घाटन माननीय राज्यमंत्री (कार्मिक) ने किया।
- (iv) अनुभाग अधिकारियों/आशुलिपिक (ग्रेड बी/ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 और 2017 के नियम 15-09-2021 को अधिसूचित किए गए थे।
- (v) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट), चतुर्थ संशोधन, विनियम, 2021 को दिनांक 29.09.2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 39018/01/2021-स्था.(ख) के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
- (vi) सरकार के व्यापक उद्देश्यों की अपेक्षाओं और समझ के बारे में मंत्रियों के कार्मिक दल अर्थात् पीएस, ओएसडी और केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित अन्य वैयक्तिक कर्मचारियों को उन्मुख करने और संवेदनशील बनाने के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम दिनांक 26-09-2021 को सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 214 अधिकारियों ने भाग लिया।
- (vii) पीईएसबी, डीओपीटी ने अध्यक्ष और निदेशकों/प्रबंध निदेशक के 07 (सात) पदों और निदेशकों के 11 (ग्यारह) पदों के लिए विज्ञापन जारी किए। साथ ही निदेशकों के लिए 03 (तीन) चयन बैठकें आयोजित की गई थीं।
- (viii) वर्ष 2022 से 2030 की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले आईएस अधिकारियों की संख्या निर्धारित करने के लिए डॉ. सी चंद्रमौलि, आईएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
- (ix) यूपीएससी के परामर्श से 2010 बैच के आशुलिपिक 'घ' की अनुमोदित सेवा में छूट के लिए राज्यमंत्री (कार्मिक) की मंजूरी मांगी गई है।
- (x) दिनांक 06.09.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. टी-16017/20/2021-आईगॉट के माध्यम से राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीसीबी) से जुड़ी सीबीसी, एसपीवी, आईएसटीएम और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है।

2. उपरोक्त के अलावा, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित निर्देश/दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण भी जारी किए गए थे:-

(i) कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/3/2016-जेसीए, दिनांक 20-09-2021 के माध्यम से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 03 विधानसभा क्षेत्रों में स्थगित मतदान के आयोजन के दौरान सवैतनिक अवकाश प्रदान करने और पश्चिम बंगाल की 159-भभनीपुर विधानसभा में उपचुनाव के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।